(c) the names of offices out of the above where officers are not maintaining any records of their officials as well as residential telephones about S.T.D. what local calls, inspite of issue of orders by Government time and again; and

(d) how Government propose to check the misuse of this facility in such offices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को प्रदान की गई सहायता

2070 **श्री अजीत जोगी :**
श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न पुनर्वित योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश को सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा अन्य राज्यों को प्रदान की गई कुल सहायता की तुलना में मध्य प्रदेश को प्रदान की गई सहायता की प्रतिशतता क्या है ;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर पैदा करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि वह विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (एम पी एस एफ सी), मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एम पी ए वी एन) और बैंकों के माध्यम से मध्य प्रदेश में एककों को सहायता प्रदान करता रहा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के शुरू होने से लेकर दिसम्बर 1993 तक मध्य प्रदेश में पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत इसके द्वारा एककों को मंजूर की गई सहायता 252.93 करोड़ रुपये थी।

(ग) वर्ष 1991–92 और 1992–93 के दौरान सिडबी द्वारा दी गई कुल पुनर्वित्त सहायता में से मध्य प्रदेश को दी गई सहायता क्रमश: 3.39 प्रतिशत और 2.61 प्रतिशत थी।

(घ) और (ङ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर सिडबी की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत मंजूर की गई सहायता से लगभग 602 करोड़ रुपये के निवेश को उत्प्रेरित किये जाने और 1.51 लाख लोगों के लिये रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद की गई थी।

Foreign visits of Secretaries to the Ministries

2071. DR. NAUNIHAL SINGH:
SHRI RAM RATAN RAM:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some senior Secretaries in charge of sensitive Ministries had accepted both hospitality and air tickets for visits abroad;

(b) if so: the reasons therefore, and how many Secretaries enjoyed such hospitality, giving the names of Departments concerned and the Foreign hosts;

(c) whether it is a fact that these host organisations had commercial dealings with the Ministries involved; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) According to existing instructions,

government officials including Secretaries to Govt. of India can accept air tickets and local hospitality from international organisations like UN, IME, World Bank, ADB, FAO etc. and also from foreign governments/multilateral organisations, if such officials are required to participate in their deliberations or if the same is covered under bilateral agreements/ contracts approved by the Government. The purpose of the visit and the acceptance of air travel visits and subsistence expenses is specifically approved in each case.

उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा की जाने वाली विदेश यात्राएं

2072. **श्री दिट्ठलराव माधवराव जाधव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सचिव और उच्च पदस्थ अधिकारी बार-बार सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों का ब्यौरा क्या है तथा उनके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकतर दौरे निजी होते हैं, लेकिन सरकार से पैसा वसूलने के लिए उसे सरकारी दौरे के रूप में दिखाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो धोखाधड़ी के ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) उक्त अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा को विनियमित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को विदेश तभी भेजा जाए जब यह निहायत ही आवश्यक हो और इस मामले की व्यवस्था विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा नहीं की जा सकती। व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता हासिल करने के लिए ऐसी प्रतिनियुक्तियों की संख्या तथा विदेश में इस तरह के दौरों की अवधि को न्यूनतम रखे जाने की आवश्यकता है।

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

External debt of India

2073. SHRI S. K. T. RAMCHANDRAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to answer to Unstarred Question 56 given in the Rajya Sabha on the 22nd February, 1994 and state:

(a) what are the total amounts which India had to pay for external debt-servicing in 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94; and

(b) what are the inflows of foreign investments in terms of U.S. dollars and in terms of Rupee in 1992-93 and in the current year, so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. ABRAR AHMED): (a) The total amount of debt Service Payment on external debt including defence debt and NRI deposits was US $ 8.13 billion, 8.22 billion and 8.17 billion during 1990-91, 1991-92 and 1992-93 respectively. The amount of debt service payment is estimated to be US $ 8.5 billion during 1993-94.

(b) The actual inflows of both direct and portfolio investment together were Rs. 1790 crores equivalent to US $ 585 million and Rs. 5600 crores equivalent to US $ 1785 million during 1992-93 and April—December 1993, respectively.